समाहरणालय, कटिहार

(आपदा प्रबंधन प्रशाखा)

—:: आदेश ::—

संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना के पत्र संख्या–02/आ०प्र० दिनांक–11.04.17 द्वारा वित्तीय वर्ष– 2017–18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य बजट शीर्ष–2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उप मुख्य शीर्ष–02 बाढ़ चक्रवात आदि, **लघुशीर्ष–101**–अनुग्रहिक राहत, **उपशीर्ष–0007**–आग लगने से क्षतिग्रस्त वस्त्रादि के लिए अनुदान विपत्र कोड–39-**2245021010007, विषय शीर्ष** -- 3501 नगद/ वस्तु, उपशीर्ष–0002 मांग संख्या–39 के अन्तर्गत प्राप्त आवंटन मो०–15,00,000.00 **(पन्द्रह लाख) रूपये** मात्र में से निम्नांकित अंचल पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने अंकित राशि का उपावंटन करते **हुए निकासी की स्वीकृति** दी जाती है।

निदेश दिया जाता है कि उपावंटित राशि वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान **अग्नि से प्रभावित/पीड़ित परिवारों** के **बीच भुगतान की गई राशि के समायोजन** विभागीय मानदर/सरकारी दिशा–निर्देशो के आलोक में करेंगे तथा किसी भी स्थिति में राशि का विचलन नही करेंगे। यह भी निदेशित किया जाता है कि कोषागार से राशि की निकासी कर बैक खाते में नही रखेंगे तथा व्यय नही होने की स्थिति में **दि० 31.03.2018** तक प्रत्यार्पण प्रतिवेदन भेजना भी सुनिश्चित करेंगे। यह **आवंटन वित्त विभागीय ज्ञापांक–2561 {वि०(2)} दि०–17.04.1998** के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। राशि की निकासी एवं व्यय में वित्त विभाग के निदेशो को अक्षरशः पालन किया जाय। इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदा० ही जिम्मेदार होंगे।

आपदा प्रभावित परिवारों को देय की राशि का भुगतान करने के संबंध में विभागीय पत्रांक 1642/आ0प्र0 दिनांक 22.04.2016 द्वारा निर्गत निदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

उपावंटित की गई राशि की निकासी यथासंभव **Fully Vouched Bill** के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए०सी० विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी०सी० बिल महालेखाकार कार्यालय बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग/जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, कटिहार को अचुक रूप से भेजना सुनिश्चित करेंगे।

क्र०	अंचल पदा० का नाम	अग्निकांड से प्रभावित परिवारों की सं०			विभाग से प्राप्त आवंटन राशि	शीर्ष 2245–02–101–0007– आग लगने से क्षतिग्रस्त वस्त्रादि के लिए अनुदान (@3800)			
		पूर्व सं0	वर्तमान सं0	कुल सं0		पूर्व उपावंटित राशि	वर्तमान उपावंटित राशि	कुल उपावंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	कटिहार	4	9	13	15,00,000.00	15,200.00	**34,200.00**	49,400.00	-
2	डंडखोरा	25		25		95,000.00		95,000.00	-
3	कोढ़ा	14		14		53,200.00		53,200.00	-
4	फलका	6		6		22,800.00		22,800.00	-
5	बरारी	24		24		91,200.00		91,200.00	-
6	हसनगंज	5		5		19,000.00		19,000.00	-
7	प्राणपुर	9		9		34,200.00		34,200.00	-
8	समेली	4		4		15,200.00		15,200.00	-
9	कुर्सेला	3		3		11,400.00		11,400.00	-
10	मनसाही	1		1		3,800.00		3,800.00	-
11	मनिहारी	9		9		34,200.00		34,200.00	-
12	अमदाबाद	76	3	79		2,88,800.00	**11,400.00**	3,00,200.00	-
13	कदवा	10		10		38,000.00		38,000.00	-
14	आजमनगर	122		122		4,63,600.00		4,63,600.00	-
15	बारसोई	58		58		2,20,400.00		2,20,400.00	-
16	बलरामपुर	12		12		45,600.00		45,600.00	-
कुल योग :–		382	12	394	**15,00,000.00**	**14,51,600.00**	**45,600.00**	**14,97,200.00**	**2,800.00**

(मो० पैतालीस हजार छह सौ) रूपये मात्र

ह० —

जिला पदाधिकारी,
कटिहार।

ज्ञापांक 507/आ०प्र० II-I & IV-01/2016-17, दिनांक 26/03/18

प्रतिलिपि :– अंचल पदाधिकारी, कटिहार एवं अमदाबाद को सूचनार्थ एंव अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, कटिहार एवं मनिहारी जिला को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई०टी० प्रबंधक, कटिहार को सूचनार्थ एवं जिला के बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

26/3/18

जिला पदाधिकारी,
कटिहार।